

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र०स० – 8/2018

अनवान

1. मनवर बानू पत्नि हाजी साबिर हुसैन घोसी (मुसलमान) उम्र वयस्क निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा

( प्रार्थीया )

बनाम

1. जगन्नाथ पिता भवाना जाट उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राधा पिता भवाना जाट उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. लादु पिता सोनाथ जाट उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता देवा जाट उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. घीसी पत्नि देवा जाट उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया उर्फ पायरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा-डिलीट
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

( अप्राथीगण )

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।**

: : निर्णय : :

दिनांक – 27.02.2018

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 05.01.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रामपुरिया उर्फ पायरा पटवार मण्डल बालेसरिया भू०अ०नि० क्षेत्र बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 78 के आ०न० 419/144, 420/145, 421/146 कुल किता 03 कुल रकबा 02-00 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2018 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 05 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 05 की तामील लौटकर अदम तामील प्राप्त, पुनः भरकर प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर अविवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी क्रम 05 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 05 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा-पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रामपुरिया उर्फ पायरा पटवार मण्डल बालेसरिया भू०अ०नि० क्षेत्र बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 78 के आ०न० 419/144, 420/145, 421/146 कुल किता 03 कुल रकबा 02-00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बेंरा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा